

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ.1(3) 2 ( )/स्था/आईसीडीएस/2013 34239

जयपुर, दिनांक:

आदेश

22.02.2018

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1.	श्री नुरुद्दीन	बाविपअ, गंगपुरसिटी शहर (सवाईमाधोपुर)	05.05.1958	31.05.2018
2	श्रीमती कैलाश बाई	बाविपअ, चित्तौड़गढ़ ग्रामीण (चित्तौड़गढ़)	22.12.1958	31.12.2018
3	श्री भागीरथ रैगर	बाविपअ, मसूदा (अजमेर)	14.07.1958	31.07.2018
4	श्री जवारा राम	बाविपअ, धोरीमन्ना (बाड़मेर)	11.07.1958	31.07.2018
5	श्री लड्डू	बाविपअ, लालसोट (दौसा )	10.10.1958	31.10.2018
6	श्री चुन्नी लाल	बाविपअ, बाली (पाली)	11.10.1958	31.10.2018

इनके विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जावेगा।

~~XXXX~~  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(3) 2 ( )/स्था/आईसीडीएस/2013 34240-270

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दिनांक:  
22.02.2018

1. निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, भरतपुर/जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)/सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय।
4. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. उपनिदेशक, चित्तौड़गढ़/दौसा/सवाईमाधोपुर/पाली/बाड़मेर।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, बाविपअ, गंगपुरसिटी शहर (सवाईमाधोपुर), बाविपअ, चित्तौड़गढ़ ग्रामीण (चित्तौड़गढ़), बाविपअ, मसूदा (अजमेर), बाविपअ, धोरीमन्ना (बाड़मेर), बाविपअ, लालसोट (दौसा), बाविपअ, बाली (पाली)
7. सम्बन्धित श्री/श्रीमती.....चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी .....
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. रक्षित पत्रावली।

~~XXXX~~  
उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।

समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जलपथ गांधीनगर, जयपुर

विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in (Tel-Fax 0141-2700281 दूरभाष नं 0141-2713630)